

प्रतिवेदन

उपनिवेशक

फायर

सोचीस,

मुंबई

मंग्लवारी, १५/१२/२०१४ एस-०-१४

दिनांक: करवारी २३/२/२०१४

गोपनीय

वास्तुविवर नियोजक,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,
नीलगिरी काम्पलेक्स, हैम्पिरामगढ़,
लखनऊ।

लिख्य:-

श्रेसर्स ऑर्डर इन्फ्राडेवेलपर्स प्र००५३०, २/३३४ विवेक खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा भूखण्ड संख्या-१४/जी०इच०-१३ बृन्दावन योजना रायबरेली रोड में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन को प्रोविजनल अनिश्चयन अनापत्ति प्राप्ति पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक-०५.०२.२०१४ का सम्बर्थ ग्रहण करने का कब्ज़ करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक भवन मानचित्र को एन०बी०सी० एवं भवन निर्माण विकास उपविधि-२००८ के अनुसार अग्रिम सुधा की दृष्टिकोण से अनिश्चयन अधिकारी, पी०जी०आई०, लखनऊ एवं मुख्य अग्रिम अधिकारी, लखनऊ द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का परीक्षण सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, आख्या नियंत्रित है। भवन की संरचना :-

१- बुल भूखण्ड एरिया- ६६५०.०० वर्ग मीटर

२- प्रस्तावित मुप हाउसिंग भवन के भूतल का कवर्ड एरिया- १४७६.३६ वर्ग मीटर।

३- प्रस्तावित दोनों ऊपरी तलाकों को प्रथम तस से १२ वे तले तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया अलग-अलग- १३९४.५८ वर्ग मीटर।

४- भवन के बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया- ३६५१.३२ वर्ग मीटर।

५- भवन की ऊँचाई-३८.७०० मीटर।

भवन का अधिकारी एवं हेजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिकारी एन०बी०सी० की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

दोनों ऊपरी व्यवस्था:-

१- पहुंच भाग :- भूखण्ड के सामने मानचित्र में १८.०० मीटर रोड की छोड़ाई अंकित है।

२- प्रवेश द्वार की छोड़ाई-भवन परिसर में प्रवेश वा निकास हेतु ०२ गेट प्रस्तावित है जिनकी छोड़ाई ०६-०६ मीटर मानचित्र में है।

३- सेटबैक:- प्रस्तावित भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है:-

० अग्रभाग १५.०० मीटर

० पृष्ठभाग १५.०० मीटर

० पार्श्व भाग प्रथम १३.२१५ मीटर

० पार्श्व भाग द्वितीय १३.२१५ मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन मानचित्रमाली के अनुसार मानचित्र में प्रतिशित है। सेटबैक सदैव अवशोध मुक्त रखें जायेंगे सेटबैक में किसी प्रकार का रथाई/अंस्थाई निर्माण कार्य सान्य नहीं होगा।

बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिंग एनवेलप से बाहर है अतः बेसमेन्ट की छत/स्लैब ७५ टम भार को सहने की क्षमता रखती है, का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्राप्त कर भवन का स्थायीकरण करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

४- निकास भाग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में ०२-०२ स्टेयर केस, प्रत्येक की छोड़ाई १.५० एवं १.२० मी० मानचित्र में प्राविधान किया गया है, जिनकी पलोर के समस्त स्थानों से ड्रेवलिंग डिस्टेन्स मानक के अनुरूप है।

५- रिफ्यूज एरिया:- भवन में बालंकर्नी प्राविधानित है।

अग्रिम सुरक्षा व्यवस्था:- एन०बी०सी०-२००५ के अनुसार अग्रिम व्यवस्थाये निम्नानुसार है।

१- अग्रिम टैक:- प्रश्नगत भवन के मानचित्र में १०० के०एल० क्षमता का अन्डर ग्राउण्ड टैक प्रस्तावित है।

२- पार्प:- अण्डर ग्राउण्ड टैक के पास मेन पार्प २८५० एल०पी०एम० क्षमता का एक विद्युत चालित पार्प, एक डीजल चालित पार्प २८५० एल०पी०एम० क्षमता, तथा जॉकी पार्प १८० एल०पी०एम० क्षमता का लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है।

३- होजरील : प्रस्तावित भवन के मानचित्र में होजरील, लैण्डिंग वाल्व, आई०एस०-३४४ मानकों के अनुसार है।

४- वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन०बी०सी०-०५ के मानकों के अनुरूप है।

५- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रॉच पाइप एवं फायर सर्विस हनलेट का ग्राविधान आई०एस०-१३०३९१९९१ के अनुसार किया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है।

- 6- अत्याधिक संखेवाले फायर एलार्म सिस्टम :- मैनुअली आपरेटर इलेक्ट्रॉनिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधिक एनबीएसी० पानक के अनुसार है।
- 7- स्वचालित डिटेक्शन एवं एलार्म रिस्टम :- आवश्यक नहीं।
- 8- स्वचालित सिंकलर सिस्टम:- बेसगेन्ट में ऑटोमेटिक सिंकलर सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।
- 9- टेरिस टैक:- प्रश्नगत भवन के टेरिस पर टेरिस टैक 10000 लीटर समता का स्थापित कराया जाना प्राविधिक है।
- 10- टेरिस पांप:- आवश्यक नहीं।
- 11- प्राणिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशन):- प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशन आईएस 2190-2010 के अनुसार प्राविधिक है जो मानक के अनुरूप है।
- 12- स्पोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:-
- ए- फायर चैकडोर, स्पोक चैकडोर की लोकेशन व रेटिंग का 2 घण्टा है।
- बी- सिस्टम की पैप अप एयर हेतु व्यवस्था किया गया है।
- सी- स्पोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्पोक लैयर आवि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण किया गया है।
- 13- प्रेशराइजेशन प्रणाली - आवश्यक नहीं।
- 14- एंजिन राइनेज़:- सम्पूर्ण भवन में एंकिट साइनेज स्थापित किया जाना प्राविधिक है जो जाने होगे।
- 15- पी०ए० सिस्टम:- पी०ए०सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन प्राविधिक है।
- 16- प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाइटिंग एनबीएसी-2005 पार्ट-4 में उल्लिखित के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 17- भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सैवें कार्यशील दशा में रखने हेतु एनबीएसी-2005 पार्ट-4 के प्रस्तार सी-५,सी-६,सी-७,सी-८,सी-९ में उल्लिखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
- 18- भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट,स्टेयर केसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डब्ल्यू से सुरक्षित करते हुए जोड़ा जाना आवश्यक होगा।
- अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, पी०जी०आई०, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर मैसर्स आर्ट इन्फ्राडेवेलपर्स प्रा०लि०, २/३३४ विवेक खण्ड पी०जी०आई०, लखनऊ द्वारा भूखण्ड संख्या-१४/जी०एंच०-१३ वृन्दावन योजना रायबरेली रोड में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्माता किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावधी से तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन वे निर्माणोंपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- संलग्नक: अनुपोदित मानविक्री।

(एच.एस.मासिक)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी/
प्रभारी उप निवेशक, फायर सर्विस,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

अग्निशमन अधिकारी, पी०जी०आई०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।